

रिपोर्ट तहसीलदार/पेरोकार सरकार

क्रमांक: राजस्व/2025/

दिनांक :

3

महोदय , जांच रिपोर्ट पटवारी एवं भूअभिलेख निरीक्षक अनुसार ग्राम सेमलीचौहन के वादी/प्राथी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को शुद्धि किया जाना उचित होगा। रिपोर्ट सादर प्रस्तुत है।

तहसीलदार/नयब तहसीलदार

तहसीलदार (भू-2)
पिड़ावा जि. झालावाड़

आदेश

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ राज0

क्रमांक: राजस्व न्यायालय/2025/ 218

दिनांक : 06/10/25

वादी/प्राथी के ग्राम सेमलीचौहन के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को तहसीलदार पिड़ावा की उक्त जांच रिपोर्ट/प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित सारणी के कॉलम 4 में अंकित त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को कालम सं. 5 अनुसार दुरुस्त किया जाना स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार पिड़ावा को आदेशित किया जाता है कि वादी/प्राथी के राजस्व रिकार्ड में सारणी के कालम सं. 5 अनुसार इन्द्राज दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।



उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

